कार्यालय जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	(जिला राजस्व शाखा) **अभिलेख संख्या – 02/2025** श्री मुकेश रजक, ग्राम तुलसीडीह, पो0 बदडीहा, प्रखण्ड जमुआ, जिला गिरिडीह। **बनाम्** श्री बालेश्वर प्रसाद, सचिव, UMS, तुलसीडीह, प्रखण्ड जमुआ।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी तिथि सहित
1	2	3

4.02.25

DGRO PGMS (https://www.jharkhandsfc.in) Portal के माध्यम से Complaint ID-09106224500001 dated 18.06.2022 से शिकायतकर्त्ता श्री मुकेश रजक, ग्राम तुलसीडीह, पो0 बदडीहा, प्रखण्ड जमुआ, जिला गिरिडीह द्वारा वर्ष–2021 का मध्याह्न भोजन की राशि वितरण में गड़बड़ी एवं आवंटन के अनुसार वितरित नहीं करने संबंधी शिकायत के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 की धारा के तहत् वाद की कार्रवाई हेतु पंजीकृत किया गया।

उक्त शिकायत के संदर्भ में उभय पक्षों को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस करते हुए संबंधित शिकायत की जाँच हेतु जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह को भेजा गया। उभय पक्ष द्वारा उपस्थित होकर अपना पक्ष दाखिल किया गया। साथ ही जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह के पत्रांक 150 दिनांक 28.01.2024 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। दाखिल साक्ष्य एवं प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार UMS तुलसीडीह, प्रखण्ड जमुआ में प्रतिपूर्ति राशि के वितरण संबंधी शिकायत की जाँच का विस्तृत प्रतिवेदन बिन्दुवार निम्नवत् है :–

क्र0	राशि मद	प्राप्त राशि	वितरण प्रकिया
1	206 दिनों का	92145.80	1023.82 X 90 छात्रों को
2	206 दिनों का	24555.20	1534.70 X 16 छात्रों को
3	134 दिनों का	30635.00	665.98 X 46 छात्रों को
4	20 दिनों का	8946.00	99.40 X 90 छात्रों को
5	20 दिनों का	2384.00	149 X 16 छात्रों को

जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उपरोक्त राशि का वितरण छात्रों में UMS बैठक में प्रस्ताव को लेकर किया गया है।

शिकायतकर्त्ता द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है कि जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह द्वारा समर्पित किये गये जाँच प्रतिवेदन से संतुष्ट हूँ और इस संदर्भ में किसी प्रकार का अब शिकायत नहीं है।

–:: आदेश ::–

जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह के जाँच प्रतिवेदन, शिकायतकर्त्ता के लिखित ब्यान एवं श्री बालेश्वर प्रसाद कुशवाहा, सचिव, UMS, तुलसीडीह के दाखिल दस्तावेज के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त शिकायत की कार्यवाही समाप्त की जाती है। यह पारित आदेश की प्रति DGRO Portal पर Upload किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित।

04.02.2025

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी
–सह–अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह।

04.02.2025

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी
–सह–अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह।

ज्ञापांक 302 / रा0(DGRO) गिरिडीह, दिनांक 04 / 02 / 2025.

प्रतिलिपि :– शिकायतकर्त्ता, श्री मुकेश रजक, ग्राम तुलसीडीह, पो0 बदडीहा, प्रखण्ड जमुआ, जिला गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ समर्पित।

04.02.2025

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी
–सह–अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह।